

(59)
कार्यालय तहसीलदार गरियाबंद जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

// जापन //

क्रमांक / 159 / तह / कानूनगो / 2018

गरियाबंद दिनांक 28.02.2018

प्रति,

संयुक्त निदेशक
जनगणना कार्य निदेशालय
छ.ग.

विषय :- भारत की जनगणना 2021 के लिये योजना क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वनग्रामों की सूची का सत्यापन।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक आई-11011/1/2018/जन/डी.सी.ओ. छग./एच-14-09।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि जनगणना 2011 के अनुसार तहसील गरियाबंद में स्थित ग्रामों की सूची सत्यापन कर आपकी ओर प्रेषित है। ग्राम के नाम में त्रुटि को लाल स्याही से चिन्हांकित कर सुधारा गया है। ग्राम अमलोर, नवागांव एवं हथौडाडीह को वनग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किया गया है जिसकी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। जनगणना 2011 के अनुसार गरियाबंद तहसील में नवागांव नाम से कोई ग्राम नहीं है। इस ग्राम के जनगणना 2011 का कार्य जनगणना ब्लॉक 0165 पेंड्रा के अंतर्गत किया गया था।

उपरोक्तानुसार जानकारी एवं ग्राम के नाम के सत्यापन की प्रति आवश्यक कार्य हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


तहसीलदार,
एवं चार्ज जनगणना अधिकारी
गरियाबंद

पृ.क्रमांक / 159 / तह / कानूनगो / 2018

गरियाबंद दिनांक 28.02.2018

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी जिला-गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

तहसीलदार
एवं चार्ज जनगणना अधिकारी
गरियाबंद

Gariaband, the 4th January 2014

NOTIFICATION

No. 2485/2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Gariaband under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nawagaon	95.93	North—Pendra South—Forest East—Forest West—Soundhur River and Dhamtari District	59	Ravandiggi	Gariaband	Gariaband